हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत बिहार राज्य हज समिति के हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 65वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु आवेदन पत्र भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशः—

1. बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छुक आवेदकों से **अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना अन्तर्गत हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा 65वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा की आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।** आवेदन पत्र हज भवन, 34 अली इमाम पथ, हार्डिग रोड, पटना स्थित **बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से** किसी भी कार्यदिवस को दिनांक **12.03.2020 से 14.03.2020** के अपराह्न 04:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र बिहार राज्य हज समिति के **वेबसाईट biharstatehajcommittee.org** से भी डाउनलोड करके प्रयोग किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन पत्र वांछित अनुलग्नकों के साथ बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय में हाथो हाथ अथवा डाक से प्राप्त होने की **अन्तिम तिथि 14.03.2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक निर्धारित है।** निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. **65वीं प्रारंम्भिक परीक्षा में सफल आवेदकों को दिनांक 12.03.2020 से 14.03.2020 तक हज भवन स्थित बिहार राज्य हज समिति के कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग में अपना नामांकन कराना अनिवार्य होगा।** नामांकन के समय सुरक्षित राशि के रूप में 2000/— रूपये जमा करना पड़ेगा जो कोचिंग की समाप्ति के उपरांत जमाकर्त्ता को वापस कर दिया जाएगा। **कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 16.03.2020 से आरम्भ होगा।**
3. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कोचिंग कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में तीनो समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें 3500/— (तीन हजार पाँच सौ) रूपये प्रतिमाह अग्रिम जमा करना पड़ेगा।
4. विषयांकित आवासीय कोचिंग सामान्यतः तीन महीने का होगा जो सामान्यतः 65वी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा तक जारी रहेगा एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 65वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन केन्द्र बिन्दु रहेगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों के हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना संचालक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं रहेगी।
5. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने वालों की सूची मे सक्षम एवं अनुभवी शिक्षकों के अतिरिक्त बड़ी संख्या मे पूर्व में सफल प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।
6. अतिरिक्त जानकारी के लिए हज भवन, पटना स्थित बिहार राज्य हज समिति के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालय से निःशुल्क उपलब्ध कराये गए आवेदन पत्र की छायाप्रति में भी आवेदन समर्पित किया जा सकता है।

7. आवेदकों के आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की **स्वअभिप्रमाणित** छाया प्रति संलग्न करना **आवश्यक** है :–

(क) मैट्रिक / 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)

(ख) स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

(ग) 65वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम की सत्यापित प्रति।

(घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड / वोटर आई0डी0 / पासपोर्ट इत्यादि)।

(ड) आवेदक का दो पासपोर्ट साईज का फोटो। इसमे से एक प्रति आवेदन पत्र के पृष्ट संख्या 1 पर नियत स्थान पर चिपकाएगें एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ट पर संलग्न करें।

(च) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछडा वर्ग / अत्यंत पिछडा वर्ग का क्रीमीलेयररहित / जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

8. अतिरिक्त जानकारी हेतु दूरभाष संख्या–06122203315 एवं 9097171909 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

9. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित कमरे / हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी।

10. अधूरे तथा वांछित अनुलग्नकों के बिना भरे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. ऐसे आवेदक जिनको पूर्व में अनुशासनहीनता के कारण निकाला जा चुका है अथवा जिन्हें प्रतिबंधित किया गया है उन्हें किसी भी परिस्थिति में कोचिंग कार्यक्रम हेतु प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा इस संबंध में समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा।

12. नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत नामांकन रद्द करने अथवा मुख्य परीक्षा के पूर्व संस्था छोड़ने की अनुमती सामान्यतः नही रहेगी।

समन्वयक
हज भवन कोचिंक एवं मार्गदर्शन कोषांग एवं
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य हज समिति, पटना।